Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(2), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

समान नागरिक संहिता: समानता की दिशा में कदम या अधिकारों का टकराव?

Dr. Kriti Vyas
Assistant Professor Dr. Anushka Vidhi Mahavidyalaya, Udaipur, Rajasthan

सारांश

इस शोध पत्र में समान नागरिक संहिता अवधारणा का विश्लेषण किया गया है, साथ ही इसकी आवश्यकता और इससे जुड़े कानूनी तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर भी विचार किया गया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में जहाँ अलग-अलग धर्मों के अपने विशिष्ट निजी नियम हैं, समान नागरिक संहिता को लेकर विवाद लंबे समय से गरमाया हुआ है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या समान नागरिक संहिता प्रणाली वास्तव में सभी लोगों के लिए समानता सुनिश्चित करती है या फिर इससे सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर नई चिंताएँ पैदा होने का जोखिम है।

इस शोध में सैद्धांतिक पद्धति अपनाई गई है, यह इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक मिसालों के साथ-साथ संवैधानिक प्रावधानों विशेष रूप से अनुच्छेद 44 पर भी विचार करता है, जो विचाराधीन समस्या के लिए प्रासंगिक हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा विधायी ढांचे और अनेक विशेषज्ञों के विचारों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस विश्लेषण के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि एक 'समान नागरिक संहिता' महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसमें कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ आ सकती हैं विशेष रूप से जब बात धार्मिक समुदायों और रीति-रिवाजों की हो। इसलिए इस विषय के प्रति एक एकीकृत और संवाद-आधारित दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः यह स्पष्ट है कि यह समस्या केवल कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील है।

मुख्य शब्द (keywords)
धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत कानून, सामाजिक विविधता, समान नागरिक संहिता, संवैधानिक प्रावधान, लैंगिक समानता।

परिचय

एक ऐसा समाज बनाना जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार, अवसर और न्याय मिले, भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य है। हालाँकि, भारत एक बहु-धार्मिक देश है इसलिए शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे पारिवारिक मामलों पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। इससे समानता के सिद्धांत को लागू करने के संबंध में कई व्यावहारिक चिंताएँ पैदा होती हैं।

इस संदर्भ में 'समान नागरिक संहिता' का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम करे, हालाँकि, न्यायालयों के पास इस दायित्व को तत्काल लागू करने का अधिकार नहीं है।

अब समान नागरिक संहिता को लेकर काफी संवैधानिक और सामाजिक चर्चा हो रही है जिसमें इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं। इसकी महत्ता इस बात से और भी स्पष्ट हो जाती है कि न्यायपालिका ने भी अपने कई निर्णयों में इस विषय पर अपनी राय व्यक्त की है।
इस विषय की गहन समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अध्ययन का लक्ष्य संवैधानिक प्रावधानों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों, तथा न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों की पड़ताल करना है।

सामग्री एवं शोध पद्धति

यह अध्ययन सैद्धांतिक शोध पद्धति पर आधारित है जिसमें समान नागरिक संहिता से संबंधित विधिक प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। इस शोध में भारतीय संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों, विभिन्न अधिनियमों तथा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन किया गया है।
इसके अतिरिक्त विषय को बेहतर समझने के लिए विधि संबंधी पुस्तकों, शोध लेखों और विश्वसनीय स्रोतों का भी उपयोग किया गया है। अध्ययन के दौरान वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है, जिसके माध्यम से समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का संतुलित अध्ययन किया गया है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(2), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

साहित्य समीक्षा

समान नागरिक संहिता पर विभिन्न विद्वानों ने इसके संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण किया है। कुछ अध्ययनों में यह माना गया है कि UCC कानूनी एकरूपता और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकता है।[1] वहीं अन्य शोध यह दर्शाते हैं कि इसके कार्यान्वयन में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बाधाएँ महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आती हैं।[2]

कुछ विद्वानों के अनुसार UCC समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मजबूत कर सकता है किन्तु इसके लिए सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना भी आवश्यक है।[3] इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत कानूनों के एकीकरण को एक जटिल प्रक्रिया माना गया है जिसमें विधिक सुधार के साथ सामाजिक सहमति भी आवश्यक है।[4]

न्यायपालिका ने भी विभिन्न मामलों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह विषय केवल विधिक नहीं बल्कि सामाजिक और संवैधानिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है।

समान नागरिक संहिता का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है कहता है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि देश में सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता हो लेकिन न्यायालय इस नियम को सीधे लागू नहीं कर सकते। एक समान नागरिक संहिता का विचार अनुच्छेद 44 तक ही सीमित नहीं है यह संविधान के मौलिक अधिकारों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।[5]

इसलिए समान नागरिक संहिता का विषय स्पष्ट रूप से संविधान के विभिन्न प्रावधानों खासकर मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन बनाने से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह घोषित करता है कि प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार हैए जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा अपने धर्म को घोषित करने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इस प्रकार समान नागरिक संहिता के मुद्दों में समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों शामिल हैं।[6]

समान नागरिक संहिता पर विभिन्न दृष्टिकोण

समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों के अलग-अलग विचार हैं। जो लोग इस कोड का समर्थन करते हैं उनका कहना है कि एक समान कानून धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने में मदद कर सकता है और साथ ही यह महिलाओं को शादी, तलाक़, गुज़ारा-भत्ता और विरासत के मामलों में ज़्यादा अधिकार और सुरक्षा भी दे सकता है। इसके अलावा यह न्याय व्यवस्था को ज़्यादा कुशल और पारदर्शी बना सकता है।

दूसरी ओर जो लोग इससे असहमत हैं उनका कहना है कि भारत एक बहुलवादी समाज है जहाँ अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों के अपने-अपने अनोखे रीति-रिवाज हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक ही कानून को ज़बरदस्ती लागू करना धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान का हनन माना जा सकता है। इसके अलावा—खास तौर पर अनुच्छेद 25 में स्थापित अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह आशंका भी है कि सामाजिक सहमति के बिना ऐसे किसी कदम को लागू करने से असंतोष और टकराव पैदा हो सकता है।

प्रमुख न्यायिक निर्णय

---

[1] अभिनव मेहरोत्रा, "भारत में समान नागरिक संहिता (UCC): एक अवलोकन", ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, 2022।
[2] नमन कसलीवाल एवं रिद्धि गांधी, "भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में बाधाएँ", इंडियन जर्नल ऑफ लीगल रिसर्च, खंड 4, अंक 3, 2022।
[3] सुनैना नासा, "समान नागरिक संहिता पर बहस और भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए इसका महत्व", इंडियन जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लॉ, खंड 3, 2023।
[4] प्रियांशु कुमार एवं हिमांशु रंजन, "भारत में व्यक्तिगत कानूनों का समान नागरिक संहिता में एकीकरण", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, खंड 5, 2022।
[5] भारत का संविधान, अनुच्छेद 14 एवं 15।
[6] भारत का संविधान, अनुच्छेद 25।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(2), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और विभिन्न मामलों में इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया है।

1. **मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985)**
   इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का अधिकार प्रदान किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा धर्म के आधार पर सीमित नहीं की जा सकती तथा समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया।[7]
2. **सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995)**
   इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के माध्यम से द्विविवाह को वैध नहीं ठहराया जा सकता और सरकार को अनुच्छेद 44 के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।[8]
3. **जॉन वल्लामट्टोम बनाम भारत संघ (2003)**
   इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि व्यक्तिगत कानूनों में मौजूद असमानताएँ संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत हैं। न्यायालय ने पुनः समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित किया।[9]
4. **शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)**
   इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'तलाक-ए-बिद्दत' को असंवैधानिक घोषित किया और इसे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। यह निर्णय लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इससे समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को और अधिक बल मिला।[10]
5. **जोसे पाउलो कुटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वैलेंटिना परेरा (2019)**[11]
   इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा में लागू समान नागरिक संहिता की सराहना की और इसे देश के अन्य भागों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने कहा कि यह संहिता भारत में समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करती है।[4]

इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ने बार-बार समान नागरिक संहिता को एक आवश्यक विधिक सुधार के रूप में देखा है जो समाज में समानता, न्याय और लैंगिक संतुलन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।

चर्चा

यह विश्लेषण दिखाता है कि समान नागरिक संहिता सिर्फ़ कानून में एक बदलाव नहीं है बल्कि यह संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच एक बीच का रास्ता खोजने का एक बड़ा प्रयास भी है। एक तरफ यह समानता, लैंगिक न्याय और कानूनी एकरूपता लाने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवेदनशील मुद्दे भी उठाता है। कई अदालती फ़ैसलों ने अलग-अलग समय पर समान नागरिक संहिता की ज़रूरत को स्वीकार किया है। हालाँकि, इसे लागू करने से पहले सावधानी बरतना, संतुलन बनाना और एक व्यापक सामाजिक सहमति बनाना ज़रूरी है।

इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

- सबसे पहले, समान नागरिक संहिता को एक साथ लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय इसे चरणों में लागू किया जाना चाहिए ताकि लोग इसके अभ्यस्त हो सकें।
- दूसरा, अलग-अलग धार्मिक समूहों, कानून में बदलाव चाहने वाले लोगों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों के बीच पूरी बातचीत को बढ़ावा देना ज़रूरी है ताकि हर कोई एक-दूसरे की चिंताओं और नज़रियों को समझ सके।

[7] मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, AIR 1985 SC 945।

[8] सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, AIR 1995 SC 1531।

[9] जॉन वल्लामट्टोम बनाम भारत संघ, AIR 2003 SC 2902।

[10] शायरा बानो बनाम भारत संघ, (2017) 9 SCC 1।

[11] जोसे पाउलो कुटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा, (2019) 19 SCC 387।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(2), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

- तीसरा, मौजूदा पर्सनल कानूनों में मौजूद लैंगिक असमानताओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिएए ताकि समानता के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखा जा सके।
- चौथा, अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों के ज़रिए लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लक्ष्यों और प्रभावों के बारे में ज़्यादा जागरूक किया जाना चाहिए।

आखिर में यह कहा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की प्रक्रिया की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि यह न केवल संवैधानिक मूल्यों को कायम रखे, बल्कि सामाजिक सद्भाव और विविधता की भी रक्षा करे।

निष्कर्ष

समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान में निहित सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों और न्याय के दृष्टिकोण को साकार करने का एक तरीका है। इसमें कानूनी व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, एकरूप और प्रभावी बनाने की क्षमता है, विशेष रूप से लैंगिक न्याय के संदर्भ में। हालांकि, इसके कारगर होने के लिए इसे समाज की विविधता और संतुलन का सम्मान करते हुए संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाना आवश्यक है। इसलिए समान नागरिक संहिता को एक दूरदर्शी और विवेकपूर्ण नीति के रूप में अपनाना सर्वोत्तम होगा।

संदर्भ

- भारत का संविधान. (1950). भारत सरकार।
- मेहरोत्रा, अ. (2022). भारत में समान नागरिक संहिता (UCC): एक अवलोकन. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
- कसलीवाल, न., – गांधी, र. (2022). भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में बाधाएँ. इंडियन जर्नल ऑफ लीगल रिसर्च, 4(3).
- नासा, स. (2023). समान नागरिक संहिता पर बहस और इसका महत्व. इंडियन जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लॉ, 3.
- कुमार, प., – रंजन, ह. (2022). व्यक्तिगत कानूनों का UCC में एकीकरण. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, 5.सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, AIR 1995 SC 1531।
- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, AIR 1995 SC 1531।
- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, AIR 1985 SC 945।
- जॉन वल्लामट्टोम बनाम भारत संघ, AIR 2003 SC 2902।
- जोसे पाउलो कुटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा, (2019) 19 SCC 387।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ, (2017) 9 SCC 1।